# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 1332/2011/चित्तौड़गढ़.
2. अपील संख्या – 1333/2011/चित्तौड़गढ़.

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, चित्तौड़गढ़.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, चित्तौड़गढ़

.....राजस्व की ओर से

**बनाम**

1. मैसर्स चेतक स्टोन ग्रिटस, चित्तौड़गढ़.
2. मैसर्स चेतक चिप्स उद्योग, चित्तौड़गढ़.

.....प्रत्यर्थीगण

**एकलपीठ**

**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

1. श्री अनिल पोखरणा,
2. श्री आर. के. अजमेरा,

उप–राजकीय अभिभाषकगण .....अपीलार्थी (राजस्व) की ओर से.

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी (व्यवहारी) की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 22/05/2017**

**निर्णय**

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा ये अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित किये गये संयुक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड, चितौड़गढ (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा निम्नांकित कर निर्धारण आदेशों के अस्वीकृत क्लेम के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार किया गया था।

2. इन दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रुप से रखी जा रही है।

3. अपीलों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

| अ.अधि.अपील संख्या | कर निर्धारण वर्ष | आदेश दिनांक | कुल मांग राशि |
|---|---|---|---|
| 70/वैट/2009–10 | 2006–07 | 19.03.2009 | 47,024/– |
| 73/वैट/2009–10 | 2006–07 | 28.03.2009 | 1,12,560/– |

4. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की ईकाई में गिट्टी के उत्पादन हेतु जनरेटर सेट एवं अन्य वस्तुओं की खरीद की गई थी जिस पर केपिटल गुड्स के रुप में क्लेम की गई आई.टी.सी को कर

लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर रिवर्स किया गया वह निर्माण कार्य के उपयोग में नहीं आती अतः केपीटल गुडस के रुप में अधिनियम की धारा 18 सपठित धारा 2(7) के तहत आई.टी.सी. क्लेम देय नहीं है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर व्यवहारी द्वारा खरीद की गई विवादित वस्तुओं का उपयोग निमार्ण कार्य में मानकर आई.टी.सी को अस्वीकार करना अविधिक मानते हुये अपीलीय अधिकारी द्वारा जे.सी.बी. व जेनरेटर की खरीद पर आई.टी. सी. दिया जाना न्यायोचित मानकर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

7. रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दोनों व्यवहारियों के आईटीसी क्लेम को निम्न बिन्दुओं पर निरस्त किया गया था :—

(i) चेतक स्टोन गिट्स के कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2009 में रुपये 37,792/— का क्लेम निरस्त किया गया है जिसमें, इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सेट एवं टायरों पर ली गई आईटीसी को रिवर्स किया गया है।

(ii) चेतक चिप्स उद्योग के कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2009 में क्लेम की गई आई.टी.सी रुपये 1,17,719/— में से रुपये 17,996/— को स्वीकार किया है एवं अवशेष रुपये 99,723/— का क्लेम अस्वीकार गया क्योंकि उसके सम्बन्धित खरीद बिलों में टायर एवं मोटर साईकिल की खरीद पाई गई थी जो निर्माण कार्य में प्रयुकत नहीं होने से उस पर आई.टी.सी रिवर्स की गई है।

उक्त दोनों प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा संयुक्त आदेश दिनांक 22.12.2010 से निर्णय किया गया है उस में विवादित वस्तु जे.सी.बी एवं जेनरेटर सेट बताते हुए इनका उपयोग निर्माण कार्य में आना मानकर अपीलें स्वीकार की गई है, जो प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विवादित कर निर्धारण आदेशों में जे सी.बी. कही अंकित नहीं है, जबकि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण में अंकित वस्तुओं पर निर्णय न देकर, जेनरेटर एवं जेसीबी पर निर्णय दिया है। इस तरह अपीलीय आदेश प्रकरण के तथ्यों से भिन्न आधार पर पारित होने से उक्त संयुक्त आदेश अपास्त किया जाता है एवं उक्त दोनों

लगातार.....3

प्रकरण अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर पुनः सुनवाई कर दोनों मामलों में अलग अलग आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में कर निर्धारण आदेश में अंकित माल एवं उसके उपयोग पर आईटीसी क्लेम की पात्रता पर गुणावगुण पर विवेचन के साथ एवं कर निर्धारण अधिकारी तथा व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करें।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

22/5/2017

( के. एल. जैन )
सदस्य